रेल पहिया कारखाना

रेल मंत्रालय

भंडार नियंत्रक का कार्यालय,

यलहंका, बेंगलूरु-560064.

विषय : रेल पहिया कारखाना में वेंडरों के पंजीयन हेतु नीति एवं प्रक्रिया

1.0नीति

1.1लघु उद्योग

1.1.1 एन एस आई सी, एम एस ई के साथ पंजीकृत लघु उद्योग : एन एस आई सी, एम एस ई के साथ एस एस आई इकाइयों के स्वपंजीयन प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वेंडर जो एन एस आई सी के अंतर्गत पंजीकृत हो उसे रेल पहिया कारखाना से पंजीयन प्रदान किया जा सकता है । ऐसा करते समय निम्नांकित शर्तों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए :-

I) वेंडर द्वारा सौंपे गए एन एस आई सी प्रमाण पत्र एन एस आई सी के वेब साइट www.nsicpronline.com से सत्यापित होना चाहिए ।

II) इस तरह के नए पंजीयन दो वर्ष की अवधि के लिए औपबंधिक तौर पर अनुमत किए जाएंगें ।

III) एन एस आई सी के पंजीयन में दिए गए मौद्रिक सीमा के अंदर पंजीयन की मौद्रिक सीमा होनी चाहिए

IV) 10 लाख से ऊपर के लिए पंजीयन चाहने वाले वेडरों को आई एस ओ 9000 प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

V) यदि एन एस आई सी पंजीयन प्रमाण पत्र कोई सीमा नहीं बताता है तो वैसे स्थिति में रेल पहिया कारखाना पंजीयन के लिए मौद्रिक सीमा 40 लाख तक सीमित होनी चाहिए ।

1.1.2 <u>लघु उदयोग इकाइयों को छोडकर अर्थात मध्यम या बृहत उदयोगों का निर्माण - फर्मों का ग्रेडिंग करके पंजीयन किया जाना चाहिए : -</u>

a) 40 लाख एवं उससे ऊपर की आपूर्ति आदेश मूल्य वाले

b) 10 लाख से 40 लाख तक की आपूर्ति आदेश मूल्य वाले

c) 5 लाख से 10 लाख तक की आपूर्ति आदेश मूल्य वाले

d) 1 लाख से 5 लाख तक की आपूर्ति आदेश मूल्य वाले

e) 1 लाख की आपूर्ति आदेश मूल्य वाले

बैंकर्स रिपोर्ट, क्षमता एवं फर्म की क्षमता और तुलन पत्र में दर्शाए गए फर्म की अन्य

वित्तीय सूचनाओं, लाभ एवं हानि विवरण के मद्दे नज़र मौद्रिक सीमा सावधानी पूर्वक तय की जानी चाहिए ।

क्षमता निर्धारण सह क्षमता के साथ साथ प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के निर्धारण के लिए कनि.प्रशासनिक ग्रेड/वरि.वेतनमान के अधिकारी द्वारा फर्म का पूर्व निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

इस तरह के पूर्व निरीक्षण के लिए डी जी एस एवं डी, आर डी एस ओ, राईट्स के निरीक्षण शाखा से सहयता ली जा सकती है ।

2.0 एक ही रेलवे एवं रेलवे उत्पादन इकाइयों के साथ पंजीकृत वेंडर :-

2.1 वैसे फर्म जो पूर्व में निरीक्षण कर लिए गए हैं और रेलवे के अनुमोदन सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त मान लिए गए हैं उन्हें रेल पहिया कारखाने के अनुमोदन सूची में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए एवं उन्हें स्व रेलवे द्वारा पंजीयन प्रदान करने के आधार पर रेल पहिया कारखाना में पंजीयन प्रदान करते समय निम्नांकित शर्तों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

a) स्व रेलवे/उप्तादन इकाई के साथ इस तरह के पंजीयन अद्यतन एवं वैध होनी चाहिए

b) रेल पहिया कारखाने की के पंजीयन वैधता की तिथि से स्व रेलवे/उत्पादन इकाई के पंजीयन वैधता से अधिक नहीं होना चाहिए ।

c) स्व रेलवे के साथ पंजीयन की वैधता स्व रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ सत्यापित की जानी चाहि।

d) रेल पहिया कारखाना में पंजीयन की मौद्रिक सीमा ठीक वही होनी चाहिए जो स्व रेलवे/उत्पाइन इकाई द्वारा अनुमत की गई है

3.0 प्राधिकृत एजेंट :-

3.1 रेल पहिया कारखाना के साथ पंजीयन के उद्दश्य से वेडर को एक प्राधिकृत एजेंट माना जाएगा यदि वह निम्नांकित प्रक्रिया को पूरा करता है :

“निर्माण कर्ता द्वारा यह अभिनिश्चित होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के लिए रेल पहिया कारखाना के लिए एजेंट को अलग से भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है और निर्माण कर्ता इस बात की गारंटी देगा कि वह समय से आपूर्ति करेगा एवं उत्पाद की मानकता तथा वारंटी को भी सुनिश्चित करेगा ”

3.2 प्राधिकृत एजेंट जो कि पंजीकृत करना चाहता हो उसे अन्य निर्धारित कागजात देना होगा, अद्यतन वैध प्राधिकृत डीलरशिप एवं मुख्य निर्माण कर्ता द्वारा एजेंसी प्रमाण पत्र भी देना होगा ।

3.3 पंजीयन के लिए ट्रेड ग्रूप उत्पादों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके लिए उपयुक्त प्रधान निर्माण कर्ता का प्राधिकृत डीलशिप/एजेंसी प्रमाण पत्र (अद्यतन एवं वैध) प्रार्थी वेंडर द्वारा दिया गया है । इन फर्मों का पंजीयन क्षमता सह सामर्थ्य के निर्धारण के लिए कनि.प्रशासनिक ग्रेड/वरि.वेतनमान के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर किया जा सकता है और

अपने प्रांगणों का निरीक्षण किया जा सकता है । बैंकर्स रिपोर्ट, क्षमता एवं फर्म की क्षमता और तुलन पत्र में दर्शाए गए फर्म की अन्य वित्तीय सूचनाओं, लाभ एवं हानि विवरण के मद्दे नज़र मौद्रिक सीमा सावधानी पूर्वक तय की जानी चाहिए ।

3.4 प्राधिकृत डीलर/एजेंट जो कि स्व रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ पहले ही से पंजीकृत हैं उन्हें पैरा3.0 में दिए गए शर्तों के अनुसार रेल पहिया कारखाना में पंजीकृत करने के लिए विचार किया जा सकता है ।

4.0 सामान्य :

a) रेलवे बोर्ड के विद्यमान नियमों के मद्देनज़र इस तरह के सामग्रियों को कवर करनेवाले किसी भी ट्रेड ग्रूप पंजीयन के लिए सी एल डब्ल्यु, डी एल डब्ल्यु, आई सी एफ, कोर, आर डी एस ओ, रेल पहिया कारखाना के सी ई ई, सी एम ई की अनुमोदन से आवश्यक रूप से खरीदा जाना चाहिए या अन्य नामित एजेंसी को फर्म के रूप में मान लिया जाएगा जब तक ये अनुमोदित श्रोतो द्वारा कर दिए गए हों । यहां पर भी पंजीयन को उन ट्रेड ग्रूपों के लिए पंजीयन को प्रतिबंधित किया गया है जिसके लिए फर्म एक अनुमोदित श्रोत है ।

b) अनावश्यक कार्य को कम करने के लिए फर्म प्रांगणों के निरीक्षण हेतु कनि.प्रशासनिक ग्रेड/वरि वेतनमान अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब प्रार्थी फर्म वर्तमान कार्यालय आदेश में निहित नीति के तहत रेलवे के साथ पंजीयन प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया अर्ह पाया जाता हो ।

5.0 सक्षमता स्तर : रेल पहिया कारखाना में विद्यमान प्रणाली के तहत निम्नलिखित सक्षमता स्तर होंगें :

a) एन एस आई सी, एन एस ई, के साथ पंजीकृत फर्म के पक्ष में एक नए पंजीयन नवीकरण के लिए उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/I सक्षम प्राधिकारी होगा ।

b) वैसे फर्म जो स्व रेलवे/उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत हैं उनके पंजीयन के नवीकरण के लिए मुख्य सामग्री प्रबंधक प्राधिकृत अधिकारी होगा ।

c) कनि. प्रशासनिक ग्रेड/वरि. वेतनमान अधिकारी के द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर फर्म के नए पंजीयन के लिए रेल पहिया कारखाना का भंडार अधिकारी अर्थात भंडार नियंत्रक सक्षम प्राधिकारी होगा । फिर भी इस कोटि में पंजीयन नवीकरण के लिए मुख्य सामग्री प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी होगा ।

6.0 नए पंजीयन की वैधता अवधि :- सभी नये पंजीयन औपबंधिक होंगें और दो वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होंगें ।

7.0 पंजीयन का नवीकरण

7.1 प्रारंभिक के नियत अवधि समाप्त होने पर : दो वर्ष की अवधि के लिए औबंधिक तौर पर फर्म निम्नांकित कागजात अर्थात a) डी एस सी विवरण के साथ आई आर ई पी एस पंजीयन

विवरण b) विगत तीन वर्षों का तुलन-पत्र एवं लाभ/हानि लेखा c) अद्यतन बिजली बिल d) अद्यतन टेलिफोन बिल e) वैट प्रमाण पत्र f) ई डी प्रमाण पत्र g) एन एस एम ई पंजीकरण प्रमाण पत्र h) वैध एन एस आई सी प्रमाण पत्र i)वैध आई एस ओ प्रमाण पत्र j) अन्य रेलवे पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो के निष्पादन रिपोर्ट - अन्य फर्मो को आपूर्ति किए गए सामग्रियों का विक्रय आदेश की प्रति संलग्न करें । उपरोक्त के अवलोकन करने पर सभी कागजातों सही हो तो नवीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए दी जानी चाहिए ।

7.2 एन एस आई सी प्रत्येक दो वर्ष में पंजीकरण की समीक्षा करता है और अगले समीक्षा की तिथि को बताने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करता है । तदनुसार एन एस आई सी पंजीकृत इकाइयों के पंजीकरण के नवीकरण की तिथि मंजूर की जाती है एन एस आई सी द्वारा अगले समीक्षा की ऊपर कथित तिथि से आगे नहीं जानी चाहिए । एन एस आई सी के साथ पंजीकृत फर्मों के द्वारा बुरा निष्पादन किए जाने पर एवं एन एस आई सी को उस पर कार्य करने के लिए उपयुक्त विवरण देने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस के साथ पुर्नपंजीकृत किया जा सकता है ।

7.3 नवीकरण के समय पंजीकरण के मौद्रिक सीमा का पुर्नविनिश्चयन :

a) जहां तक एन एस आई सी से पंजीकृत फर्मों का सवाल है, बिना मौद्रिक सीमा वाले को छोडकर मौद्रिक सीमा भी वहीं होगी जोकि एन एस आई सी पंजीयन प्रमाण पत्र में दिया गया है जिसके लिए रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत रेलवे बोर्ड पत्र सं.2002/आर एस(जी)/753/1 दिनांक 08.11.2002. में फिक्स किया है ।

b) बाकि शेष के लिए मौद्रिक सीमा अंतिम तीन वर्षों के लिए औसत वार्षिक टर्न ओवर का एक तिहाई होगा । यह महाप्रबंधक/आई सी एफ - ओ एस डी/दपरे की परियोजना रिपोर्ट में भी अनुशंसित किया गया है ।

8.0 नये फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया :-

8.1 भंडार नियंत्रक को पंजीयन मंजूर करने हेतु अनुरोध करते हुए अपने फर्म के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में पत्रों पर उनसे आवेदन प्राप्त होने पर फर्मो को रेल पहिया कारखाना के वेब साइट www.rwf.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध मुफ्त आवेदन पत्र को डाउन लोड करने के लिए कहा जाएगा ।

8.2 जब फर्म द्वारा पूर्ण रूप से भरे आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस आवेदन को भंडार नियंत्रक कार्यालय में जांचा जाएगा और यदि उस मानक फार्मेट में यदि कोई कमी उसमें पाई जाती है तो उसे दर्शाया जाता है ।

8.3 फर्म द्वारा सभी कागजातों को सौप दिए जाने के बाद अनुलग्नक -III में दर्शाए गए मानक फार्मेट में एक गोपनीय पत्र फर्म के बैंकर्स को भेजा जाएगा ताकि फर्म के वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सके ।

8.4 यदि फर्म पहले से ही एन एस आई सी, एन एस ई या अन्य क्षेत्रीय रेलवे या भारतीय रेलवे की अन्य किसी उत्पादन इकाई से पंजीकृत हो तो एजेंसी से गोपनीय तरीके से पुष्टि प्राप्त किया

जाएगा जिसने ग्रूप के विवरण को फर्म से पंजीकृत किया गया हो और फर्म के निष्पादन रिपोर्ट को मानक फार्मेट के द्वारा अनुलग्नक -IV में दर्शाए अनुसार प्राप्त किया जाएगा । जहां तक एन एस आई सी पंजीकृत इकाइयों का सवाल है पंजीयनों को एन एस आई सी के वेब साइट www.nsiccproonline.com से सत्यापित किया जाएगा ।

8.5 यदि फर्म उपरोक्त दर्शाए गए एजेंसियों के साथ पंजीकृत नहीं है तो रेपका के भंडार विभाग के वरि.प्रशासनिक ग्रेड/वरि.वेतनमान के अधिकारी को भंडार नियंत्रक द्वारा फर्म के निरीक्षण हेतु नामित किया जाएगा । फिर भी यदि फर्म रेल पहिया कारखाना के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हो तो उन फर्मों को रेल पहिया कारखाना क्षेत्र के बाहर पंजीकृत होना चाहिए । इस तरह का कोई भी निरीक्षण रेल पहिया कारखाना के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा । प्रधान कार्यालय को नामित कार्यालय सामान्यता वही होगा जो पंजीकरण के लिए आवेदक फर्म द्वारा अनुरोध किया गया हो वैसे ट्रेड ग्रूपों के साथ डील करता हो और तकनीकी उपयुक्तता तथा फर्म की क्षमता पर एक रिपोर्ट सौंपेगा ।

8.6 नामित अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुलग्न - V में दिए गए मानक फार्मेट में विवरण को पंजीयन अनुभाग भरेगा एवं संबंधित क्रय अधिकारी (JAG/SG) से ट्रेड ग्रूप के आबंटन के बारे में अनुशंसा प्राप्त करेगा । इसके बाद सामग्रियों के खरीद के साथ मुख्य सामग्री प्रबंधक की अनुशंसा प्राप्त किया जाएगा और पंजीकरण के लिए भंडार नियंत्रक के अंतिम निर्णय हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

8.7 यदि फर्म किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे,उत्पादन इकाई या एनएसआईसी के साथ पंजीकृत है तो फर्म का कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा । एनएसआईसी के साथ पंजीकृत फर्म अनुलग्नक-5 के फाईल जोकि पूरी तरह भर लिए गए हो संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । ट्रेड ग्रूप के साथ डील करनेवाले क्रय अधिकारी अपने अनुसंशा के लिए उसके बाद उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/I को पंजीयन/मौद्रिक सीमा के अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । यदि फर्म स्व रेलवे या रेलवे उत्पादन इकाई के साथ पंजीकृत हो तो तब फाइल को अनुलग्नक -V के तहत कनि.प्रशासनिक ग्रेड के क्रय अधिकारी जोकि ट्रेड ग्रूपों के साथ डील करते हो उनको प्रस्तुत किया जाएगा जिसपर वे अपनी अनुशंसा दे सकें । उसके बाद पंजीयन एवं मौद्रिक सीमा के विनिश्चयन के अंतिम निर्णय के लिए मुख्य सामग्री प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

8.8 जैसे ही सक्षम अधिकारी एक वेंडर के पंजीयन के संबंधि अपना अंतिम आदेश पास करता है तो फर्म को दो वर्षों तक पंजीयन शुल्क रेमिट करने के लिए सूचित किया जाएगा । पंजीयन शुल्क प्राप्त होने पर पंजीयन पत्र जारी किया जाएगा जिसमें आबंटित पंजीयन संख्या, आपूर्तिकर्ता कोड संख्या, ट्रेड ग्रूप एवं मौद्रिक सीमा जारी की जाएगी ।

8.9 यह भंडार नियंत्रक के अनुमोदन से जारी किया जाएगा और तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।